


16/1/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
मुताबिक राजीनामा पार करी स्वीकार दिया जाता है।
विक्षेप निर्णय अलग से लिखा जाऊ शकित है।
गया। डिफ़ी जारी है। नंबर से कर लो।

निर्णय हुआ गया।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GCMs
2024/821

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या:- 314/2024 G.C.M.S.-2024/621

दायरा दिनांक:- 07.10.2024

-: अनवान :-

रजीराम पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. इन्द्राज
 2. मुखराम
 3. रणजीतराम
- } पुत्रगण डुंगरराम जाति जाट निवासी संघर पो.ऑ. संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. शाखा प्रबंधक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस(वर्तमान पीएनबी बैंक), शाखा भगवानसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
 5. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
 6. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक शाखा संघर तहसील सूरतगढ़।
 7. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
 8. उप-पंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, वादी
2. श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

- :: निर्णय ::-

दिनांक:- 16.01.2025

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी एवं प्रतिवादी न. 1 ता 3 सगे भाई हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से खातेदारी भूमि चक 8 एस.जी.आर. पटवार हल्का संघर, भू.अभि.नि.क्षेत्र रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2073 ता 2076 के खाता संख्या नया 66 पुराना 66 के पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61 के किला नम्बर 7 ता 9 सालम, 11/2/0.2020, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 सालम व 23/1/0.1520 में इस खाते में कुल 2.8840 हैक्टेयर नहरी वादी एवं प्रतिवादी न. 1 ता 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज हैं तथा चक 8 एस.जी.आर. पटवार हल्का संघर भू. अभि.नि. रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2073 ता 2076 के

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



खाता संख्या 68/68 के पत्थर नम्बर 18/318 मु.न. 33 के किला नम्बर 1 ता 4 सालम, 5/1/0.2150 नहरी, 5/2/0.0380 गै.मु. रास्ता, 6/1/0.2150 नहरी, 6/2/0.0380 गै.मु. रास्ता, 7 ता 14 सालम = 3.4660 नहरी व 0.0760 गै.मु.रास्ता, पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61 के किला नम्बर 1/1/0.2280 नहरी, 1/2/0.0250 गै.मु. रास्ता, 2/1/0.2280 नहरी, 2/2/0.0250 गै.मु.रास्ता, 3/1/0.2280 नहरी, 3/2/0.0250 गै.मु.रास्ता, 4/1/0.2280 नहरी, 4/2/0.0250 गै.मु. रास्ता, 5/1/0.1900 नहरी, 5/2/0.0630 गै.मु. रास्ता, 6/1/0.2150 नहरी, 6/2/0.0380 गै.मु. रास्ता, 10/0.253 नहरी, 11/1/0.0510 नहरी, 15/1/0.0510 नहरी, 20 - 21/0.5060 नहरी = 2.1780 नहरी, 0.2010 गै.मु. रास्ता व पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62 किला नम्बर 5/1/0.2150 नहरी, 5/2/0.0380 गै.मु.रास्ता, 6/1/0.2150 नहरी, 6/2/0.0380 गै.मु. रास्ता, 15/1/0.2150 नहरी, 15/2/0.0380 गै.मु. रास्ता = 0.6450 नहरी, 0.1140 गै.मु. रास्ता इस खाते में कुल 6.2890 हैक्टेयर नहरी व 0.3910 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता दर्ज हैं तथा चक 8 एस.जी.आर. पटवार हल्का संघर भूअभि.नि. क्षेत्र रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 129/129 के पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61 के किला नम्बर 23/2/0.1010 नहरी, 24/0.2530 नहरी = 0.3540 नहरी, पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62 के किला नम्बर 1 ता 4, 9, 10 सालम = 1.5180 हैक्टेयर नहरी इस खाते की 1.8720 हैक्टेयर नहरी दर्ज हैं तथा चक 10 एस.जी.आर. पटवार हल्का संघर भू-अभि. रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2072 ता 75 के खाता संख्या नया 101 पुराना 43 के पत्थर नम्बर 18/317 मु.न. 44 के किला नम्बर 23, 24/0.5060 नहरी, 25/1/0.2150 नहरी, 25/2/0.0380 गै.मु. रास्ता इस खाते की 0.7210 नहरी व 0.0380 गै.मु. रास्ता दर्ज हैं। उक्त वर्णित चारो खातो की भूमि में वादी व प्रतिवादी न. 1 ता 3 का ब.हि.ब. का हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, चारो खातो की कुल भूमि 11.7660 हैक्टेयर नहरी भूमि (व 0.4290 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता) हैं। कृषि योग्य खातेदारी भूमि दर्ज हैं। वादी व प्रतिवादी न. 1 ता 3 ने आपसी सहमती से वादी को पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61 के किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 की पूर्वी लाईन पर उतर से दक्षिण पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62 के किला नम्बर 4 के उत्तरी व पूर्वी कोने तक मौका पर सिचाई हेतु वादी का खाला वर्षो से चल रहा हैं। इसलिए यह 5 बिस्वा भूमि कुल खाते से कम कर वादी व प्रतिवादीगण 1/3 ने ब.हि.ब. का हिस्सा का बंटवारा करके 5 बिस्वा यानि 0.0630 हैक्टेयर भूमि वादी के खाते में जोड़ी गई हैं। इस प्रकार कुल भूमि 11.7660 हैक्टेयर - 0.0630 हैक्टेयर = 117030 ÷ 4 = 2.9260 हैक्टेयर नहरी भूमि वादी व प्रतिवादी न. 1 ता 3 प्रत्येक को आती हैं जिसमें 0.0630 हैक्टेयर खाला की भूमि वादी के खाते में सम्मिलित करने पर वादी को 2.9880 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि आती हैं जिसका वादी अपने वर्षो पुराने आपसी घरुली बंटवारा के अनुसार काशत कर रहा हैं व उसी का खाता विभाजन करवाकर वादी शेष प्रतिवादीगण से अपना खाता अलग करवाना चाहता हैं व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 भी चाहे तो अपने अपने हिस्सा की कब्जा काशत की भूमि का खाता विभाजन करवाने के लिए स्वतन्त्र है। कुल भूमि में वादी का खाता अलग करने के बाद चारो खातो में प्रतिवादी न. 1 ता 3 के नाम कुल 8.7780 हैक्टेयर नहरी भूमि शेष में तीनों का ब.हि.ब आता हैं जिसका खाता विभाजन करवाने के लिए स्वतन्त्र हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण ने करीब

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

20-25 वर्ष पूर्व काश्त की सुविधा व रकबे के सुधारने के लिए सभी ने आपसी सहमती से भूमि का बंटवारा कर लिया था व उसी अनुसार मौका पर काश्त करते चले आ रहे हैं। आपसी सहमती से वादी को काश्त करने के लिए जो भूमि दी गई वो इस प्रकार से हैं - चक 8 एस.जी.आर. पटवार हल्का संघर भू.अभि.नि. क्षेत्र रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 66/66 में पत्थर नम्बर 18/321(61) किला नम्बर 7/0.0120, 14/0.0130, 17/0.0120 = 0.0370 हैक्टेयर, चक 8 एस.जी.आर. पटवार हल्का संघर भू.अभि.नि. क्षेत्र रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 68/68 में पत्थर नम्बर 18/318 मु.न. 33 के किला नम्बर 6/1/0.2150 नहरी, 6/2/0.0380 गै.मु. रास्ता, 7 में 0.0510 हैक्टेयर नहरी, 11 ता 14/1.0120 नहरी, पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62 के किला नम्बर 5/1/0.2150, 5/2/0.0380 गै.मु. रास्ता, 6/1/0.2150 नहरी, 6/2/0.0380 गै.मु.रास्ता, 15/1/0.2150 नहरी, 15/2/0.0380 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61 के किला नम्बर 4/1/0.0130 हैक्टेयर इस खाते की 1.9360 हैक्टेयर नहरी व 0.1520 है. गै.मु. रास्ता व चक 8 एस.जी.आर. के खाता संख्या 129/129 के पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62 के किला नम्बर 2 ता 4, 9/1.0120 हैक्टेयर नहरी इस खाते की 1.0120 हैक्टेयर दोनो खातो की 2.985 हैक्टेयर + 0.152 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता हैं जिसका खाता विभाजन वादी प्रतिवादीगण से करवाना चाहता हैं। वादी ने प्रतिवादीगण 1 ता 3 को आज से 15 दिन पूर्व वादी ने खाता विभाजन सहमती से करवाने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि सात दिन में तहसील में चल कर खाता विभाजन की लिखा पढ़ करके खाता विभाजन करवा लेंगे। प्रतिवादीगण को वादी ने दिनांक 04.09.2024 को खाता विभाजन करवाने के लिए गांव संघर में उनके घरों में जाकर कहा तो प्रतिवादी न. 1 ता 3 ने स्पष्ट मना कर दिया कि वो तो तहसील में नहीं जायेंगे, वादी को खाता विभाजन करवाने की आवश्यकता हैं तो वह अदालत में दावा करके अपने हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन करवा ले। प्रतिवादीगण की यह इन्कारी ही वाद पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य वाद कारण व आधार हैं। सारी भूमि का खाता संयुक्त रहने से बैंक से भूमि सुधार हेतु ट्रेक्टर व उसके औजार लेने हेतु व सहकारी समिति के बैंक से बीज खाद आदि के लिए रूपये मंजूर करवाने में भारी कठिनाई का सामना संयुक्त खाते से करना पड़ता हैं इसलिए संयुक्त खाते की भूमि अलग अलग करवाने की अत्यन्त आवश्यकता हैं। वादी सीधा साधा व अनपढ़ किसान है। वादी को अदालत पर पूरा पूरा भरोसा हैं कि वो खाता विभाजन के वाद पत्र को स्वीकार कर खाता विभाजन की डिक्री जारी करेंगे व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश संबंधित तहसीलदार को जारी करेंगे। प्रतिवादीगण कुछ अनजान लोगो को जैरवाद भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि बेचान करने के लिए दिखा रहे हैं। अगर प्रतिवादीगण खाता विभाजन से पूर्व ही रकबा का बेचान हो जाता हैं तो जैरवाद भूमि में अजनबी व्यक्ति सम्मिलित हो जायेंगे जिससे खाता विभाजन होने व नये पक्षकार आ जाने से भारी कठिनाई पैदा हो जायेगी। अतः वाद पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत करके निवेदन हैं कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अनुतोष क ता घ अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया तथा राजीनामा अनुसार घरू बंटवारा के आधार पर खाता विभाजन करने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की तथा निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का आपस में राजीनामा हो चुका है इसलिए राजीनामा अनुसार ही वाद पत्र डिक्री किया जावे।।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार जैरवाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खाते में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का आपस में राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा अदालत में प्रस्तुत कर उसके अनुसार खाता विभाजन चाहा है इसलिए राजीनामा अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद पत्र वादी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा जैरवाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का निम्न अनुसार खाता विभाजन किया जाता है :-

वादी रजीराम पुत्र डुंगरराम की भूमि

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 68/68

पत्थर नम्बर 18/318 मु.न. 33 में

किला नम्बर 6/1/0.215,

6/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 7/0.031 (पूर्वी

पासा), 11/0.253, 12/0.253, 13/0.253,

14/0.253 = 1.258 नहरी, 0.038 गै.मु.

रास्ता,

पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62

किला नम्बर 5/1/0.215, 5/2/0.038 गै.

मु. रास्ता, 6/1/0.215, 6/2/0.038 गै.मु.

रास्ता, 15/1/0.215, 15/2/0.038 गै.मु.

रास्ता = 0.645 नहरी, 0.114 गै.मु. रास्ता

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 129/129

पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62

किला नम्बर 1/0.031(पश्चिमी पासा), 2/0.

253, 3/0.253, 4/0.253, 9/0.253 = 1.

043 नहरी

कुल रकबा = 3.098 हैक्टेयर (2.946 हैक्टेयर नहरी, 0.152 गै.मु. रास्ता)

प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज पुत्र डुंगरराम की भूमि

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 101/43

पत्थर नम्बर 18/317 मु.न. 44


किला नम्बर 23/0.253, 24/0.253,

25/1/0.215, 25/2/0.038 = 0.721

नहरी, 0.038 गै.मु.रास्ता

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 68/68

पत्थर नम्बर 18/318 मु.न. 33


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किला नम्बर 1/0.253, 2/0.253, 3/0.253, 4/0.253, 5/1/0.215, 5/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 7/0.222 (पश्चिमी पासा), 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253 = 2.208 नहरी, 0.038 गै.मु.रास्ता

कुल रकबा = 3.005 हैक्टेयर (2.929 नहरी, 0.076 गै.मु.रास्ता)

प्रतिवादी संख्या 2 मुखराम पुत्र डुंगरराम की भूमि

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 68/68

पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 2/1/0.209 (पश्चिमी पासा), 2/2/0.023 गै.मु.रास्ता, 10/0.253, 11/1/0.051, 20/0.253, 21/0.253 = 1.247 नहरी, 0.048 गै.मु.रास्ता

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 66/66

पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 9/0.253, 11/2/0.202, 12/0.253, 19/0.253, 22/0.253 = 1214 नहरी,

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 129/129

पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62

किला नम्बर 1/0.222 (पश्चिमी पासा), 10/0.253 = 0.475 नहरी

कुल रकबा 2.984 हैक्टेयर (2.936 नहरी, 0.048 गै.मु.रास्ता)

प्रतिवादी संख्या 3 रणजीत पुत्र डुंगरराम की भूमि

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 68/68

पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 2/1/0.019 (पूर्वी पासा), 2/2/0.002 गै.मु.रास्ता, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 5/1/0.190, 5/2/0.063 गै.मु.रास्ता, 6/1/0.215, 6/2/0.038 गै.मु.रास्ता = 0.880 नहरी, 0.153 गै.मु. रास्ता

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 66/66

पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 7/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 14/0.253, 17/0.253,, 18/0.253, 23/1/0.152 = 1.670 हैक्टेयर

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 68/68

पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 15/1/0.051 नहरी



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 129/129

पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 23/2/0.101, 24/0.253 =
0.354 हैक्टेयर

कुल रकबा 3.108 हैक्टेयर (2.955 नहरी, 0.153 गै.मु.रास्ता)



उक्त अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अब गांव संघर में रहते हैं इसलिए जमाबंदी में सभी का निवास गांव संघर किया जाता है। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते में रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपरखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़

(आदेश 21 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)
 -:: परचा डिक्री ::-
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास - सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

-: अनवान :-

रजीराम पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
 राजस्थान।वादी

बनाम

1. इन्द्राज
 2. मुखराम
 3. रणजीतराम
- } पुत्रगण डुंगरराम जाति जाट निवासी संघर पो.ऑ. संघर
 तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. शाखा प्रबंधक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस(वर्तमान पीएनबी बैंक), शाखा भगवानसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
 5. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
 6. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा संघर तहसील सूरतगढ़।
 7. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
 8. उप-पंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188, 92ए, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 314 वर्ष 2024 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रुबरु हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 श्री विनोद कुमार व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

वाद पत्र वादी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरवाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का निम्न अनुसार खाता विभाजन किया जाता हैं :-

वादी रजीराम पुत्र डुंगरराम की भूमि

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 68/68

पत्थर नम्बर 18/318 मु.न. 33 में

किला नम्बर 6/1/0.215,

6/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 7/0.031 (पूर्वी
 पासा), 11/0.253, 12/0.253, 13/0.253,
 14/0.253 = 1.258 नहरी, 0.038 गै.मु.रास्ता,

पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62

किला नम्बर 5/1/0.215, 5/2/0.038 गै.मु.
 रास्ता, 6/1/0.215, 6/2/0.038 गै.मु.
 रास्ता, 15/1/0.215, 15/2/0.038 गै.मु.
 रास्ता = 0.645 नहरी, 0.114 गै.मु. रास्ता

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 129/129

पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62

**उपखण्ड अधिकारी
 सूरतगढ़ (राज.)**

किला नम्बर 1/0.031(पश्चिमी पासा), 2/0.253,
3/0.253, 4/0.253, 9/0.253 = 1.043
नहरी

कुल रकबा = 3.098 हैक्टेयर (2.946 हैक्टेयर नहरी, 0.152 गै.मु. रास्ता)

प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज पुत्र डुंगरराम की भूमि

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 101/43
पत्थर नम्बर 18/317 मु.न. 44

किला नम्बर 23/0.253, 24/0.253,
25/1/0.215, 25/2/0.038 = 0.721
नहरी, 0.038 गै.मु.रास्ता

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 68/68
पत्थर नम्बर 18/318 मु.न. 33

किला नम्बर 1/0.253, 2/0.253, 3/0.253,
4/0.253, 5/1/0.215, 5/2/0.038 गै.मु.
रास्ता, 7/0.222 (पश्चिमी पासा), 8/0.253,
9/0.253, 10/0.253 = 2.208 नहरी, 0.038
गै.मु.रास्ता

कुल रकबा = 3.005 हैक्टेयर (2.929 नहरी, 0.076 गै.मु.रास्ता)



प्रतिवादी संख्या 2 मुखराम पुत्र डुंगरराम की भूमि

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 68/68
पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु.
रास्ता, 2/1/0.209(पश्चिमी पासा), 2/2/0.
023 गै.मु.रास्ता, 10/0.253, 11/1/0.051,
20/0.253, 21/0.253 = 1.247 नहरी, 0.048
गै.मु.रास्ता

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 66/66
पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 9/0.253, 11/2/0.202, 12/0.
253, 19/0.253, 22/0.253 = 1214 नहरी,

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 129/129
पत्थर नम्बर 18/322 मु.न. 62

किला नम्बर 1/0.222(पश्चिमी पासा), 10/0.
253 = 0.475 नहरी

कुल रकबा 2.984 हैक्टेयर (2.936 नहरी, 0.048 गै.मु.रास्ता)

प्रतिवादी संख्या 3 रणजीत पुत्र डुंगरराम की भूमि

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 68/68
पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 2/1/0.019(पूर्वी पासा), 2/2/0.002
गै.मु.रास्ता, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु.रास्ता,

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 5/1/
0.190, 5/2/0.063 गै.मु.रास्ता, 6/1/0.215,
6/2/0.038 गै.मु.रास्ता = 0.880 नहरी, 0.153 गै.मु.
रास्ता

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 66/66

पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 7/0.253, 8/0.253, 13/0.253,

14/0.253, 17/0.253,, 18/0.253,

23/1/0.152 = 1.670 हैक्टेयर

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 68/68

पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 15/1/0.051 नहरी

चक 8 एस.जी.आर. खाता संख्या 129/129

पत्थर नम्बर 18/321 मु.न. 61

किला नम्बर 23/2/0.101, 24/0.253 =

0.354 हैक्टेयर

कुल रकबा 3.108 हैक्टेयर (2.955 नहरी, 0.153 गै.मु.रास्ता)



उक्त अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अब गांव संघर में रहते हैं इसलिए जमाबंदी में सभी का निवास गांव संघर किया जाता है। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते में रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें।

नोज..... × मुबलिंग.....× बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह × फस्दो की पालना ×..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्ल मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.01.2025 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)